



विक्रय की उदघोषणा
(देखिये निमय 20 व 54)

कलेक्टर / खनि अभियन्ता, (वसूली) खान एवं भू-विज्ञान विभाग,

रामगंजमण्डी का न्यायालय।

कमक / खनि / वसूली / 2025-26 /

160

दिनांक 18/6/2025

विक्रय उदघोषणा

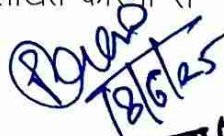
एतद् द्वारा नोटिस दिया जाता है कि राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 (राजस्थान एक्ट 15 आफ 1956) की धारा 230/235/237 के अधीन चूक करने वाले श्री जहूर अहमद आत्मज श्री अब्दुल मजीद निवासी ग्राम व पोस्ट सुकेत तहसील रामगंजमण्डी द्वारा देय राजस्व लगान की बकाया तथा कुर्क करने का खर्चा तथा विक्रय का खर्चा जो कि उक्त अनुसूची में बताया गया है। वसूल करने के लिये सलंगन अनुसूची में वर्णित कुर्क की हुई सम्पत्ति के विक्रय के लिये इस न्यायालय द्वारा आज्ञा दे दी गई है। विक्रय सार्वजनिक नीलाम द्वारा होगा और अनुसूची में बताये गये समुहों (लाट्स) में सम्पत्ति का विक्रय किया जावेगा।

स्थान को आज्ञा के अभाव में विक्रय सुश्री आराधना एस.एम.एफ व श्री अब्दुल मुत्तीफ एम.एफ द्वितीय (अधिकारी का नाम बताया जावे) के द्वारा दिनांक 09.07.2025 को 11.00 बजे प्रातः ग्राम रामगंजमण्डी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (विक्रय स्थान बताया जावे) में किया जावेगा तथा पि किसी भी लाट की बोली खत्म होने से पहले अनुसूची में निर्दिष्ट बकाया तथा विक्रय के खर्च दे दिये या चुका दिये जाने की दशा में विक्रय बन्द कर दिया जावेगा।

सामान्यतः विक्रय समय जनता या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी अथवा विधि प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा बोली लगाने के लिये आमन्त्रित की जाती है। तथा पि उपरोक्त चूक करने वाले द्वारा या उसकी ओर से कोई बोली न तो मन्जूर की जायेगी और न उसके नाम कोई विक्रय न्यायालय द्वारा पहले दी गई स्पष्ट अनुमति के बिना वैध होगा।

विक्रय की अन्य शर्तें निम्नलिखित हैं :-

1. निम्नलिखित अनुसूची में निर्दिष्ट ब्योरे न्यायालय की सर्वोत्कृष्ट सूचना के आधार पर दिये गये हैं। परन्तु इस उदघोषणा में कोई त्रुटी गलत विवरण या भूल होने के लिये न्यायालय का उत्तरदायी नहीं होगा।
2. वह रकम जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जावेगी विक्रय करने वालें अधिकारी द्वारा निश्चित की जावेगी बोली की रकम या बोली लगान वाले के संबंध में किसी विवाद के उत्पन्न होने की दशा में लाट को तुरन्त नीलाम के लिये फिर से रखा जावेगा।
3. सब से ऊंची बोली लगाने वाला किसी भी लाट का खरीददार घोषित किया जायेगा किन्तु हमेशा यह शर्त रहेगी कि बोली लगाने के लिये वैदिक रूप से योग्य हो और यह भी शर्त है कि सब से ऊंची बोली को मन्जूर करने से इन्कार करना उस हालत में न्यायालय या विक्रय करने वाले अधिकारी के विवके पर निर्भर रहेगा जब कि बोली गई कीमत इतने स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत हो का ऐसा करना ही उचित होगा।
4. सदैव कोड आफ सिविलप्रा सीजर आर्डर 21 के नियम 9 के प्रावधानों के अधीन अभिलिखित कारणों से विक्रय को स्थगित करना विक्रय करने वाले अधिकारी के विवके पर निर्भर रहेगा।


खनि अभियन्ता (वसूली)
खान एवं भू विज्ञान विभाग
रामगंजमण्डी (कोटा)

5. बल सम्पत्ति की दशा में प्रत्येक लाट का मूल्य विक्रय के समय या विक्रय करने वाले अधिकारी के निर्देशदे ने के तुरन्त पश्चात चुका दिया जायेगा। और भुगतान ना करने पर सम्पत्ति पर तुरन्त फिर से बोली लगाई जायेगी उनको फिर से बेचा जायेगा।
6. (क) भूमि तथा अन्य सम्पत्ति की दशा में खरीददार घोषित किया गया व्यक्ति ऐसी घोषणा के पश्चात उस के कय मूल्य की रकम का 25 प्रतिशत विक्रय करने वाले अधिकारी के पास तुरन्त जमा करा देगा और इस प्रकार न जमा कराने पर उस पर तुरन्त फिर से बोली लगाई जायेगी। और उस को फिर से बेचा जायेगा और ऐसा व्यक्ति प्रथम विक्रय में होने वाले खर्चे के लिये तथा पुनः विक्रय के कारण मूल्य में होने वाली कमी के लिये उत्तरदयी होगा जो कि कलक्टर द्वारा उससे इस प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो वह राजस्व की बकाया हो।
- (ख) खरीददार द्वारा कय मूल्य की पूरी रकम सम्पत्ति के विक्रय के पश्चात पन्द्रह वें दिन न्यायालय बन्द होने से पूर्व जमा करा दी जायेगी जिस में वह दिन शामिल नहीं होगा या पन्द्रह दिन के पश्चात न्यायालय खुलने के प्रथम दिन को जमा करा दी जायेगी।
- (ग) अनुमति अवधि में कय मूल्य की शेष रकम भुगतान नहीं किये जाने पर विक्रय की गई विज्ञप्ति जारी करने के पश्चात सम्पत्ति फिर से बेची जायेगी विक्रय का खर्चा निकालने के पश्चात जमा रकम यदि न्यायालय उचित समझे तो सरकार के पक्ष में जप्त की जा सकेगी और दोषी खरीददार सम्पत्ति पर या उस रकम के ऐसे किसी भी भाग पर जिसके लिये वह फिर से बेची जाय समस्त हक खो बैठेगा।
- (घ) यदि अन्ततः किये जाने वाले विक्रय की आय ऐसे दोषी खरीददार द्वारा लगाई गई बोली के मूल्य से कम होतो उनका अन्तर उससे इस प्रकार वसूल किया जायेगा जैसे कि वह राजस्व की बकाया हो।
7. (क) भूमि समस्त भारों (Encumbrance) के मुक्त बेची जावेगी और ऐसी भूमि के संबंध में खरीददार के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा पहले से की गई समस्त संविदायें नीलाम द्वारा किये जाने वाले विक्रय के समय खरीदने वाले के विकल्प पर शून्य करणीय समझी जायेगी।
- (ख) उपरोक्त पैरा (क) में निहित कोई भी बात ऐसी भूमि के लिये लागू नहीं होगी जो कि रहने के मकानो या फैंक्ट्रियों के निर्माण के लिये या बांधों तालाबों नहरों पूजा के स्थानों या श्मशान भूमियों या कब्रिस्तान के लिये अस्थाई या स्थाई वास्तविक पट्टों के अधीन धारणा की जा रही हो। ऐसी भूमि ऐसे पट्टों में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रयोग में आती रहेगी।
- (ग) उपरोक्त पैरा (क) में किसी भी बात के निहित होते हुये भी राज्य सरकार विक्रय किये जा चुकने से पूर्व किसी भी समय निर्देश दे सकती है कि उस भूमि के धारक द्वारा या ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके मार्फत वह भूमि धारक अधिकार रखने का दावा रखता है उत्पन्न किये गये भूमि में ऐसे हित अधिकारों के अधीन विक्रय किया जाये जैसा कि सरकार उचित समझे।

अनुसूची
वसूल की जाने वाली रकम

1-राजस्व या लगान या तकाबी की देय रकम

रु. 96,25,287 पैसा 00

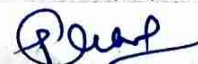
2-कुर्की का खर्चा

3-विक्रय का यदि सम्पत्ति नीलाम नहीं की गई है.

तो अमीन की प्रतिनियुक्ति का खर्चा

रु. 96,25,287 पैसा 00

योग:-रु. 96,25,287 पैसा 00





बेची जाने वाली सम्पत्ति

समूह प्लॉटों की संख्या	बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण	राजस्थान एक्ट 15 आठ 1956) की धारा 235 या 237 के अधीन विक्रय की दशामें निर्धारित राजस्व	भूमि धारक के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके मार्फत वह अधिकार रखने का दावा रखता हो उत्पन्न किये गये भूमि में हित या अधिकारी के विवरण (तुलनात्मक देखिये राज. एक्ट 15 आठ 1956 की धारा 236 की उपधारा (3)	छावे यदि कोई जो कि सम्पत्ति के संबंध में रखे गये हो और उसकी किस्मत या मूल्य के संबंध में कोई भी अन्य ज्ञात विवरण
1	2	3	4	5
बाकीदार की क्षेत्र ग्राम रामगंजमण्डी जिला कोटा में यह मकान वार्ड नं. 13(पुराना वार्ड नं. 9) बाजार नं. 1 रामगंजमण्डी के अन्तर्गत आता है। उक्त आवासीय मकान 1540 वर्ग फुट है जो कि बाजार नं. 1 में स्थित है जिसकी सार्वजनिक रूप से निलामी दिनांक 09.07.2025 को 11.00 बजे प्रातः रामगंजमण्डी जिला कोटा में की जावेगी।				

आज दिनांक 18.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से युक्त जारी की गई।

क्रमांक / खअ / राम / वसूली / 2025-26 / 161-168 दिनांक 18/6/2025
प्रतिलिपी निम्न को मय निलामी इतहार के साथ भेजकर निवेदन है कि इस इशतहार को सूचना पट अपर घसपा करवाने तथा इच्छुक सज्जनों को सूचित करने की व्यवस्था करावें।

1. -जिलाधीश महोदय कोटा
2. -उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी
3. -तहसीलदार रामगंजमण्डी
4. -पुलिसथाना रामगंजमण्डी
5. -विकास अधिकारी पंचायत समिति खैराबाद
6. -नगरपालिका रामगंजमण्डी
7. -सुश्री आराधना एस.एम.एफ व श्री अब्दुल मुत्तीफ एम.एफ द्वितीय

खनि अभियन्ता (वसूली)
(रामगंजमण्डी)
18/6/25
खनि अभियन्ता (वसूली)
खान एवं भू विज्ञान विभाग
रामगंजमण्डी (कोटा)